

20.3.25

वकील जाही उपस्थित । वकील जाही द्वारा डिडी
अनुसार राज्य रिकॉर्ड में अंकन होगा बताया ।
जाहीना - पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने
पर जाहीना - पत्र डेब्ट किया जाता है । काउन्सिलर
वर्कमिल द्वाराकल इफ्तार हो।

आदेश से इजाजत हुआ गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पामना देवपुरी
दिना

GCMS
2025/85

